



# BULANDSHAHR POLICE



दिनांक- 22 मार्च, 2024

थाना खुर्जा देहात

गैंगस्टर अब्दुल रसीद द्वारा गौकशी व पशु क्रूरता जैसे अपराध कारित करके सृजित संपत्ति (कीमत करीब 70 लाख रुपये) कुर्क की गयी-

जिलाधिकारी बुलन्दशहर के आदेश के अनुपालन में आज दिनांक 22.03.2024 को थाना खुर्जा देहात पुलिस द्वारा गैंगस्टर/गौकश **अब्दुल रसीद पुत्र अहमद शहीद निवासी मौ० तरीनान थाना खुर्जा नगर जनपद बुलन्दशहर** द्वारा समाज विरोधी क्रिया-कलाप से आर्थिक एवं भौतिक लाभ अर्जित कर सृजित/क्रय की गयी अचल सम्पत्ति (अनुमानित कीमत 70 लाख रुपये) को गैंगस्टर अधिनियम की धारा-14(1) के अन्तर्गत कार्यवाही करते हुये जब्त किया गया है।

अपराधी अब्दुल रसीद की जब्त की गयी सम्पत्ति का विवरण-

1- 0.3421 हेक्टेयर भूमि (कीमत करीब 70 लाख रुपये)

अभियुक्त अब्दुल रसीद का आपराधिक इतिहास-

1. मुअसं-417/15 धारा 3/5/8 गोवध अधिनियम थाना खुर्जा जनपद बुलन्दशहर।
2. मुअसं-399/18 धारा 352,406,504,506 भादवि थाना खुर्जा नगर जनपद बुलन्दशहर।
3. मुअसं-454/18 धारा 308/323/452/504/506 भादवि थाना खुर्जा नगर जनपद बुलन्दशहर।
4. मुअसं- 1363/21 धारा 406/420/504/506 भादवि थाना खुर्जा नगर जनपद बुलन्दशहर।
5. मुअसं- 272/23 धारा 429/504 भादवि व 11 पशु क्रूरता अधि० थाना खुर्जा देहात जनपद बुलन्दशहर।
6. मुअसं- 274/23 धारा 429 भादवि व 11 पशु क्रूरता अधि० थाना खुर्जा देहात जनपद बुलन्दशहर।
7. मुअसं- 275/23 धारा 429 भादवि व 11 पशु क्रूरता अधि० थाना खुर्जा देहात जनपद बुलन्दशहर।
8. मुअसं- 335/23 धारा 2/3 गैंगस्टर एक्ट थाना खुर्जा देहात जनपद बुलन्दशहर।

कार्यवाही करने वाली प्रशासन/पुलिस टीम का विवरण-

- 1- श्री कमलेश कुमार गोयल उप जिलाधिकारी खुर्जा
- 2- श्री वरुण कुमार सिंह क्षेत्राधिकारी खुर्जा
- 3- श्री राहुल कुमार थाना प्रभारी खुर्जा देहात मय टीम



मीडिया सैल बुलन्दशहर